

प्रेषक,

निदेशक,  
राज्य पोषण मिशन,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

विषय:- पोषण अभियान के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यक्रियों एवं सहायिकाओं को दो-दो अतिरिक्त साड़ी/वर्दी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

पत्रांक: /रा०पो०मि०/साड़ी/वर्दी/2022-23  
महोदय/महोदया,

दिनांक: ७ मई, 2022

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्य पोषण मिशन के पत्र संख्या-सी०-1225/ रा०पो०मि०/साड़ी/वर्दी/2021-22 दिनांक 30.03.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-एन०एन०एम०/७/२०१७-डब्लू०पी०० दिनांक 04.09.2020 के निर्देशानुसार पोषण अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यक्रियों एवं सहायिकाओं को दो-दो अतिरिक्त साड़ी/वर्दी उपलब्ध कराने हेतु अपर मुख्य सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग/महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन महोदया के अद्विशासकीय पत्र सं०-३०७३/रा०पो०मि०/२०२०-२१ दिनांक 24.02.2021 के क्रम में आंगनबाड़ी कार्यक्रमी एवं सहायिकाओं को प्रदेश के 75 जनपदों में प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यक्रमी (गुलाबी रंग) एवं सहायिका (पीला रंग) को दो-दो साड़ी जिनके बार्डर पर पोषण अभियान का लोगो प्रिन्ट हो, की आपूर्ति हेतु अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-१४५/१८-२-२०२१-१२ (एस०पी०)/२०१० दिनांक 05.03.2021 द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-२ उ०प्र० शासन के शासनादेश दिनांक 24.07.2019 में निहित संस्थाओं यथा—यूपीका, उ०प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग, उ०प्र० हस्त शिल्प विकास एवं विपणन निगम लि० एवं उ०प्र० राज्य हथकरघा निगम लि० के द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से साड़ी/वर्दी का क्रय करते हुए आंगनबाड़ी कार्यक्रियों एवं सहायिकाओं हेतु निर्धारित संख्या व पत्रांक संख्या-सी०-३१५१ दिनांक 12 मार्च, 2021 द्वारा निर्धारित मानक/स्पेसीफिकेशन के अनुरूप साड़ी/वर्दी की आपूर्ति सम्बन्धित जनपदों में करने व साड़ी/वर्दी की आपूर्ति जनपदों में मानक के अनुसार प्राप्त कर सत्यापन के उपरान्त वितरण कराने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

अवगत कराना है कि उ०प्र० राज्य हथकरघा निगम लि०, यूपीका व उ०प्र० हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि० द्वारा आंगनबाड़ी कार्यक्रमी व सहायिका हेतु साड़ी/वर्दी के उपलब्ध कराये गये नमूना साड़ी व क्षेत्रीय प्रयोगशाला, वस्त्र समिति (वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार) सर्वोदय नगर, कानपुर से परीक्षण की गयी साड़ी की टेस्ट रिपोर्ट का भौतिक परीक्षण मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा किया गया। समिति द्वारा साड़ी/वर्दी के नमूना के भौतिक परीक्षण के सम्बन्ध में प्रस्तुत आख्या के सम्बन्ध में मिशन के पत्र संख्या-सी०-१५३ दिनांक 06 मई, 2022 द्वारा आपूर्तिकर्ता संस्थाओं को आवश्यक कार्यवाही करते हुए आयुक्त एवं निदेशक हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग उ०प्र०, कानपुर के पत्र संख्या-८६७/ह०क०-नियोजन/२०२०-२१ दिनांक 08.02.2021 द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए जनपदों में साड़ी/वर्दी की आपूर्ति कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था।

उक्त के क्रम में उ०प्र० राज्य हथकरघा निगम लि० ने अपने पत्र संख्या-८१-१०२/kmm/uphl/lko/2022-23 दिनांक 13.05.2022, द्वारा अवगत कराया गया है कि “पोषण अभियान के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यक्रियों एवं सहायिकाओं को साड़ी/वर्दी क्रय कर वितरित किये जाने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा नामित संस्था के माध्यम से उपलब्ध कराये गये साड़ी के परीक्षण उपरान्त पायी गयी कुछ त्रुटियों का निराकरण कर लिया गया है। संस्था द्वारा साड़ी के मानक की विशेषिताओं एवं गुणवत्ता के परीक्षण हेतु आयुक्त एवं निदेशक हथकरघा वस्त्रोद्योग, कानपुर से वस्त्र विशेषज्ञ नामित करा लिया गया है। संस्था द्वारा समस्त त्रुटियों का निराकरण कर पत्रांक संख्या-८६७/ह०क० नियोजन/२०२०-२१ में दिये गये मानकों के अनुरूप नामित वस्त्र विशेषज्ञ से गुणवत्ता का भौतिक परीक्षण कराकर आवंटित जनपदों को आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा रही है।”

यू०पी० इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसिएशन लि० ने अपने पत्र संख्या-33/यू०क्षे०का०/लखनऊ/2022-23 दिनांक 12.05.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि "पोषण अभियान के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यक्रमियों एवं सहायिकाओं को साड़ी/वर्दी क्रय कर वितरित किये जाने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा नामित संस्था के माध्यम से उपलब्ध कराये गये साड़ी के परीक्षण उपरान्त पायी गयी कुछ त्रुटियों का निराकरण कर लिया गया है। संस्था द्वारा साड़ी के मानक की विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के परीक्षण हेतु आयुक्त एवं निदेशक हथकरघा वस्त्रोद्योग, कानपुर से वस्त्र विशेषज्ञ नामित करा लिया गया है। संस्था द्वारा समस्त त्रुटियों का निराकरण कर पत्रांक संख्या-८६७/ह०क० नियोजन/2020-21 में दिये गये मानकों के अनुरूप नामित वस्त्र विशेषज्ञ से गुणवत्ता का भौतिक परीक्षण कराकर आवंटित जनपदों को आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा रही है।"

उ०प्र० हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि० ने भी अपने पत्र संख्या-७५ दिनांक 12.05.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि "पोषण अभियान के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यक्रमियों एवं सहायिकाओं को साड़ी/वर्दी क्रय कर वितरित किये जाने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा नामित संस्था के माध्यम से उपलब्ध कराये गये साड़ी के परीक्षण उपरान्त पायी गयी कतिपय त्रुटियों का निराकरण कर लिया गया है। संस्था द्वारा साड़ी के मानक की विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के परीक्षण हेतु आयुक्त एवं निदेशक हथकरघा वस्त्रोद्योग, कानपुर से वस्त्र विशेषज्ञ नामित करा लिया गया है। संस्था द्वारा समस्त त्रुटियों का निराकरण कर पत्रांक संख्या-८६७/ह०क० नियोजन/2020-21 में दिये गये मानकों के अनुरूप कार्यवाही हेतु वस्त्र विशेषज्ञ नामित किया गया है, वस्त्र समिति भारत सरकार से साड़ियों की गुणवत्ता की जांच हेतु सम्प्ल भेजा गया है।"

अतः आपसे अनुरोध है कि राज्य पोषण मिशन के पत्र संख्या-सी०-१२२५/रा०पो०मि०/साड़ी/वर्दी/२०२२-२३ दिनांक 30.03.2022 में वर्णित दिशा-निर्देशों के क्रम में आपूर्तिकर्ता संस्थाओं द्वारा जनपदों में की जा रही साड़ी/वर्दी की मानकानुसार आपूर्ति प्राप्त कर जनपद स्तर पर गठित समिति के सत्यापन उपरान्त अपने नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यक्रमी व सहायिकाओं को साड़ी/वर्दी का वितरण कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(कपिल सिंह)  
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या: C-२०५ / तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र० शासन/महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उ०प्र०।
3. आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, कानपुर उ०प्र०।
4. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र०।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० इण्डस्ट्रियल को-आपरेटिव एसो० लि० (यूपीका), कानपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य हथकरघा निगम लि०, कानपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० हस्तशिल्प विकास विपणन निगम लि०, लखनऊ।
8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
9. विभागाध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, द्वारा गुणवत्ता आश्वासन अधिकारी, वस्त्र समिति (वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार) 117/48 ग्राउन्ड फ्लोर (निकट बैंक ऑफ बड़ौदा) सर्वोदय नगर, कानपुर नगर, उ०प्र०।
10. निदेशक (वित्त), राज्य पोषण मिशन, उ०प्र०।
11. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ कि उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
12. जिला कार्यक्रम अधिकारी, (मुख्यालय) राज्य पोषण मिशन, उ०प्र०।
13. कार्यालय प्रति।

(कपिल सिंह)  
निदेशक।